वि0वि0 की प्रवेश समिति में माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दि0 02सितम्बर एवं 03सितम्बर 2022 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय –

1– विगत वर्ष स्नातक प्रथम में फेल हो चुके विद्यार्थी यदि पुनः NEP2020 के नियमों के अधीन स्नातक प्रथम सेमेस्टर में किसी भी संकाय में प्रवेश लेना चाहें तो परिसर/महाविद्यालय में यदि रिक्तियां हों तो प्रवेश दिया जा सकता है।

2– विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रवेश दिये जाने के संदर्भ में इण्टरमीडिएट के पश्चात प्राप्त की गई रेगुलर (नियमित)शिक्षा के वर्षो को अवरोध वर्ष में नहीं माना जाएगा ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक प्रथम सेमेस्टर में अन्य नये विद्यार्थियों की भाँति प्रवेश दिया जा सकेगा ।

3– शैक्षणिक सत्र 2022–23 से प्रथम बार नई शिक्षा नीति **NEP** के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रमों के नवीन प्रवेश संचालित हो रहे हैं और नवसृजित विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के सीमित संसाधनों के आलोक में यह समीचीन है कि विगत वर्ष तक जारी पुराने स्नातक अध्यादेशों के अन्तर्गत प्रवेश लिए हुए विद्यार्थीगण यथासंभव समय से परीक्षाओं में सम्मिलितं होकर गुणवत्ता के साथ अपनी उपाधि प्राप्त कर सकें। इस उद्येश्य से संस्था के व विद्यार्थियों के हित में विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पुराने पाठ्यक्रम के प्रोन्नति नियमों में निम्न सशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं–

कोई विद्यार्थी जो सत्र 2021–22 की स्नातक प्रथम अथवा तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ है, को द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर में सशर्त प्रोन्नत कर दिया जाएगा ताकि वह द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं में प्रतिभाग कर सके, परन्तु इस प्रकार प्रोन्नत होने से उसका पूर्ववर्त्ती सेमेस्टर के प्रश्नपत्रों में अर्जित परीक्षाफल अप्रभावित तथा यथावत रहेगा।

1. सत्र 2021–22 में स्नातक प्रथम सेमेस्टर/तृतीय सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित हुए परीक्षार्थी का उसके अगले सम सेमेस्टर (द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर) की परीक्षाओं के उपरान्त संयुक्त परीक्षाफल उस स्थिति में–

   (क) ''उत्तीर्ण'' अंकित किया जाएगा जहां उसने दोनों सेमेस्टर (प्रथम और द्वितीय अथवा तृतीय और चतुर्थ) के प्रत्येक विषय में निर्धारित न्यूनतम से अधिक प्राप्तांक अर्जित किए हों, अथवा

   (ख) ''अनुत्तीर्ण'' अंकित किया जाएगा जहां उसने दोनों संबंधित सेमेस्टर (प्रथम और द्वितीय अथवा तृतीय और चतुर्थ) के किसी एक अथवा अधिक विषय में न्यूनतम से कम प्राप्तांक अर्जित किए हों।

2. पूर्णतः उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के अतिरिक्त, सम से विषम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु (तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु) ऐसा अभ्यर्थी भी अर्ह होगा जिसके सम सेमेस्टर के संयुक्त परीक्षाफल (प्रथम और द्वितीय अथवा तृतीय और चतुर्थ) के अन्तर्गत

क्रमशः - 2

परीक्षार्थी ने कुल प्रश्नपत्रों के दो तिहाई प्रश्नपत्रों में निर्धारित न्यूनतम से अधिक प्राप्तांक अर्जित किए हों।

3. सत्र 2021–22 के पुराने पाठ्यक्रम के स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण/असम्मिलित किसी विद्यार्थी, यदि इच्छुक हो, को वर्ष 2022–23 से आरंभ किए जा रहे **NEP** के नवीन स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश का अवसर सीटों के अवशेष रहने पर उपलब्ध रहेगा ।

5/09 5/9/2022 5/9/22 5/9/2022

संकायाध्यक्ष कला | संकायाध्यक्ष विज्ञान | संकायाध्यक्ष वाणिज्य | संकायाध्यक्ष दृश्यकला | परीक्षा नियंत्रक/ अध्यक्ष प्रवेश समिति